रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228777
CG-DL-E-05082021-228777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2021/श्रावण 14, 1943
No. 439] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2021/SHRAVANA 14, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 538(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (ज) और उपधारा (3), धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (3), धारा 385, धारा 386 के खंड (क), धारा 389 और धारा 390 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 में, नियम 2 के उपनियम (1) खंड (ग) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस खंड के प्रयोजन के लिए, प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रानिक आधारित पेशकश, इसके अंशदान या विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 18 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में प्रतिभूतियों के सूचीकरण को इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के प्रयोजन के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक मोड' के रुप में नहीं माना जाएगा।

[फा. सं. 1/23/2013-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2021

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) and clause (h) of sub-section (1) and sub-section (3) of section 380, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (3) of section 381, section 385, clause (a) of section 386, section 389 and section 390, read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014 namely :-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Companies (Registration of Foreign Companies) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014, in clause (c) of sub-rule (1) of rule 2, the following explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation.-** For the purposes of this clause, electronic based offering of securities, subscription thereof or listing of securities in the International Financial Services Centres set up under section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) shall not be construed as 'electronic mode' for the purpose of clause (42) of section 2 of the Act.".

[F. No. 1/23/2013-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 266(E), dated the 31st March, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.05 22:03:33 +05'30'